मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांकः F-5-1 /2016/नियम/चार भोपाल, दिनांक 24 जून, 2016

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय - सामान्य भविष्य निधि पासबुक का संधारण एवं आहरण की स्वीकृति ।

—◆—

सामान्य भविष्य निधि से आहरण हेतु सक्षम स्वीकृत अधिकारियों/कार्यलय प्रमुख से यह अपेक्षा रही है कि सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं की पास बुक अद्यतन रखी जाकर सामयिक प्रमाणीकरण सुनिश्चित किया जाये।

2/ अभिदाताओं की पास बुक के संधारण में उपर्युक्त अनुसार कार्यवाही नहीं होने से पास बुक की प्रमाणिकता नहीं रह पाती है एवं पास बुक में दर्शित शेष के आधार पर स्वीकृति की कार्यवाही में त्रुटि की संभावना बनी रहती है। महालेखाकार द्वारा यह भी जानकारी में लाया गया है कि कतिपय अभिदाताओं के सामान्य भविष्य निधि खातों में ऋणात्मक शेष है । ऋणात्मक शेष का सामयिक समाधान न होने से सेवानिवृत्ति के समय अभिदाता को कठिनाई आती है ।

3/ सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं को सामान्य भविष्य निधि से आहरण में कठिनाई नहीं होने को दृष्टिगत रखते हुये निम्नांकित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

(i) सामान्य भविष्य निधि के समस्त अभिदाताओं की पास बुक को अद्यतन कर उसमें जमा/आहरण की प्रत्येक प्रविष्टि की जाकर आहरण अधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रमाणीकरण किया जावें।

(ii) सामान्य भविष्य निधि से आहरण का आवेदन प्राप्त होने पर पास बुक की प्रविष्टियों के अनुसार उपलब्ध शेष राशि का आकलन किया जाये।

(iii) उपर्युक्त (ii) के साथ-साथ स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा महालेखाकार की वेबसाइट पर जाकर अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि खाते का अवलोकन किया जाये तथा संतुष्ट होने की स्थिति में आहरण की स्वीकृति जारी की जावे। संचालनालय कोष एवं लेखा के संबंधित डेटा बेस में शासकीय सेवक के सामान्य भविष्य निधि खाते के अद्यतन शेष की जानकारी से भी स्वीकृतकर्ता अधिकारी समाधान कर सकते हैं ।

PTO

http://www.Finance.mp.gov.in

(iv) उपर्युक्त (ii) व (iii) में विसंगति होने पर महालेखाकार की वेबसाइट पर अभिदाता के खाते में स्वीकृति वर्ष के तीन वित्तीय वर्ष की प्रदर्शित लेखा पर्ची के शेष एवं तदुपरान्त कोष एवं लेख संचालनालय की वेबसाईट अनुसार अभिदाता के खाते में जमा राशि तथा महालेखाकार के द्वारा प्रदर्शित अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि खाते में विगत तीन वित्तीय वर्षों में किए गए आहरण अग्रिम को विचार में लेते हुए अभिदाता के खाते में उपलब्ध राशि का आंकलन किया जाये ।

(v) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में कार्यालय प्रमुख उसके अन्तर्गत अभिदाताओं के सामान्य भविष्य निधि जमा/आहरण का मिलान महालेखाकार कार्यालय से सुनिश्चित करें।

4/ उपर्युक्त निर्देशों से कृपया अधीनस्थों को अवगत कराने का कष्ट करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनिरूद्ध मुकर्जी)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक : F-5-1 /2016/नियम/चार भोपाल, दिनांक 24 जून, 2016

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, एवं लेखा, मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा, म.प्र. किसान भवन, भोपाल ।
26. समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश
27. गार्ड फाईल

को ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(अजय चौबे)
उप सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग